

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2024/डी- 473

दिनांक:- 7/3/24

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्र	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री मोहन लाल पारीक पुत्र श्री हरिनारायण पारीक	श्रीमती मंदिराडे पत्नी श्री एस.एन. घोष	54	317.54 व0ग0 में से 90.13 व0ग0	इंदिरा गृ.नि.स. समिति	श्री कुशल नगर	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु	मूल लीजडीड आवेदक के पास नहीं होने के कारण

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।



75th
Azadi Ka
Mahotsav

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

150
1947-2024

Jda.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-08/2024/डी-70

दिनांक 7/3/24

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमीती हसीना	श्री मोहम्मद	16	97.80	जविप्रा	सुभाष कॉलोनी	फ्री होल्ड पट्टा	मृत्यू प्रमाण पत्र

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Sunan Devi
Designation Deputy Commissioner
Date: 2024.03.07 10:03:30 IST
Reason: Approved



क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2024/डी- 455

दिनांक:- 6/3/24

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्र	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती हर्षिता पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश	श्री जगदीश पुत्र श्री भैरुराम	एफ-1320	---	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	नाम हस्तान्तरण एवं पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर
2	श्रीमती अफसाना बानो पत्नी श्री अब्दुल शाजिद	श्रीमती सुनीता पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह	एफ-920ई	32.89 व0मी0	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर
3	श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री बाबूलाल	श्रीमती रोशन देवी पत्नी श्री घनश्याम	जी-1390	32.89 व0मी0	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर
4	श्री अली शेर पुत्र श्री वाजिद खॉ	श्री श्योजीराम पुत्र श्री बोदूराम	एफ-1140	38.89 व0मी0	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	पट्टा जारी करने हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर
5	श्रीमती इन्तियाज बेगम पत्नी श्री खलील अहमद	श्री शकील हुसैन पुत्र श्री हाजी हुसैन	जी-1329	32.89 व0मी0	जविप्रा योजना	गोविन्दपुरा	नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने हेतु	अपंजीकृत इकरारनामा के आधार पर
6	श्री हनुमान सैनी पुत्र श्री कालूराम सैनी	श्री हनुमान सैनी पुत्र श्री कालूराम सैनी	93	195.55 व0ग0	मित्र गृ0नि0स0समिति	पंचवटी कॉलोनी ई-ब्लॉक	पट्टा जारी करने हेतु	रसीद खो जाने पर एफ.आई. आर होने के कारण
7	श्रीमती कामिनी कौशल पत्नी श्री देवनारायण	श्रीमती कामिनी कौशल पत्नी श्री देवनारायण	32	194.62 व0ग0	निजी खातेदारी	शिव एनक्लेव	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी करने हेतु	मूल दस्तावेज खो जाने के कारण

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि :- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2024/डी- 371

दिनांक 6/3/24

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती हेमा कंवर पत्नी श्री प्रताप सिंह शेखावत	श्री किशोर कंवर पत्नी श्री सायर सिंह (ग.नि.स.स. द्वारा जारी आवंटन पत्रानुसार)	144	200.00 व.ग.	भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति	करणी विहार बी	नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड पट्टा	गृ.नि.स.स. द्वारा आवंटन पत्र, साईट प्लान, अपंजीकृत मुख्तयारनामाआम, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र इत्यादि

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपायुक्त, जोन-2
ज वि प्रा. जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फ़ैक्स +91-141-2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103298

दिनांक: 07/03/2024

लोक सूचना

श्री GOPAL पुत्र श्री KALYAN जाति BALAI निवासी SURAVALI DHANI MAHAPURA JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	मोहनपुरा, सांगानेर (जयपुर)	GOPAL S/O KALYAN	114	2200	0.22
2.	मोहनपुरा, सांगानेर (जयपुर)	GOPAL S/O KALYAN	115/570	1500	0.15
3.	मोहनपुरा, सांगानेर (जयपुर)	GOPAL S/O KALYAN	656/113	7550	0.755
कुल					1.125

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07-03-2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



Signature valid

Digitally Signed by Suman Devi
Designation: DC/ AO
Date: 2024.03.07 17:55 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103300

दिनांक: 07/03/2024

लोक सूचना

श्री KANA RAM पुत्र श्री KALYAN जाति BALAI निवासी SURAVALI DHANI MAHAPURA JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	मोहनपुरा, सांगानेर (जयपुर)	KANA RAM S/O KALYAN	655/113	11250	1.125
कुल					1.125

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **07-03-2024** को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



Signature valid

Digitally Signed by Suman Devi
Designation: DC/AO
Date: 2024.03.07 15:43 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट

विषय:-90ए की लोक सूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु रोस्टर आवंटन करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 90ए की लोक सूचना का दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन नियमानुसार कराये जाने हेतु रोस्टर आवंटन करने का श्रम करें।


उपायुक्त जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

सहायक निदेशक (जन सम्पर्क)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक : ज.वि.प्रा./उपा./जोन-09/2024/डी-5846
दिनांक : 7/3/24

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103296

दिनांक: 07/03/2024

लोक सूचना

श्री AMAN PATNI पुत्र श्री ASHOK KUMAR JAI जाति JAIN निवासी D-173/A, MOTI MARG, BAPU NAGAR, JAIPUR 302015

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	नृसिंहपुरा, सांगानेर (जयपुर)	AMAN PATNI	765/221	1050	0.105
कुल					0.105

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।


यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07-03-2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



Signature valid

Digitally Signed by Devrani
Designation: ADC/NO
Date: 2024.03.07 15:10:27 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

यू.ओ.नोट

विषय:-90ए की लोक सूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु रोस्टर आवंटन करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 90ए की लोक सूचना का दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन नियमानुसार कराये जाने हेतु रोस्टर आवंटन करने का श्रम करें।


जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर-09
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

सहायक निदेशक (जन सम्पर्क)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक : ज.वि.प्रा./उपा./जोन-09/2024/डी- 5847
दिनांक : 7/7/24

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/103302

दिनांक: 07/03/2024

लोक सूचना

श्री VIJAY KEDIA पुत्र श्री MOTI CHAND KEDIA जाति MAHAJAN निवासी C-52-B, SAROJNI MARG, C-SCHEME, JAIPUR-302001

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	नरसिंहपुरा उर्फ रिक्शा, सांगानेर (जयपुर)	VIJAY KEDIA S/O SHRI MOTI CHAND KEDIA	766/221	1050	0.105
कुल					0.105

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07-03-2024 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-09
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



Signature valid

Digitally Signed by Devyani
Designation: DC/ AO
Date: 2024.03.07 15:09:28 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN